



2026: AHC: 28719-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **262/2026**

मधुसूदन त्रिपाठीयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्यउत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अनिल कांत त्रिपाठी, प्रवीण कुमार

उत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता: ए.के. गोयल, ए.सी.एस.सी. (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन प्रतिमा की स्थापना के लिए राज्य सरकार के पास लंबित प्रस्ताव के निपटारे हेतु उत्तरदाताओं को निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. रिकॉर्ड के अवलोकन से संकेत मिलता है कि दिनांक 23.09.2008 की नीति के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष सचिव को मार्गदर्शन मांगते हुए एक पत्र भेजा गया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वह अभी भी लंबित है।
3. इस तथ्य को देखते हुए कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया पत्र राज्य के पास लंबित है, राज्य को भरोसा की गई नीति/उसके किसी भी बदलाव के आधार पर उक्त पत्र पर निर्णय लेना आवश्यक है, क्योंकि नीति बहुत पहले वर्ष 2008 में तैयार की गई थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इस आदेश की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किया जा सकता है।

5. उपरोक्त निर्देशों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

आर.के./ए.के.शुक्ला

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"